



191

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म० प्र०

प्रकरण क्रमांक

निग 2201-I-16



नारायण दास पुत्र गनेश अहिरबार निवासी
ग्राम भदेवरा तहसील व जिला दतिया म० प्र०

..... आवेदक

बनाम

कोमल सिंह पुत्र चन्ने यादव (फौत) वारिस
पुत्र

1-कमलेश पुत्र कोमल सिंह यादव

2-मलखन पुत्र कोमल सिंह यादव निवासी
गण ग्राम भदेवरा तहसील व जिला दतिया

म० प्र० अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० सं० 1959
विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक
महोदय बृत राजापुर तहसील दतिया के प्रकरण क्रमांक 16/अ
12/2015-16 कोमल सिंह बनाम शासन में पारित आदेश दिनांक
23-5-2016 के सम्बन्ध में ।

(ए.आर.दिनकर)
एडवोकेट

महोदय,


आवेदक निगरानी कर्ता की ओर से निम्न लिखित निगरानी माननीय
न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है :-

1- यह कि भूमि सर्वे नम्बर 725, 114, 1142, रकवा क्रमशः 0.89 आरे, 0.34
आरे एवं 0.63 आरे कित्ता 3 एकत्र रकवा 1.86 हेक्टेयर स्थित भूमि मौजा भदेवरा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2201-दो/2016

जिला दतिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
24/12/18	<p>प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक दतिया के प्र.क. 16 अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 23-5-16 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25-9-18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई-योग्य नहीं रही है। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23-5-16 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी दतिया के समक्ष पीढ़ित पक्षकार को आवेदन देना होगा। तदनुसार आवेदक सक्षम न्यायालय में इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25-9-18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है।</p>	 सदस्य